

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (समक्ष:
पी0सी0आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 303 / 2015

संस्थित दिनांक-22 / 05 / 2015

फाइलिंग नंबर-230303012542015

गोपालदास पुत्र देवीलाल आयु 55 साल,
निवासी स्टेशन रोड थाना गोहद चौराहा
जिला भिण्डअपीलार्थी / आरोपी

वि रू द्ध

1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा
.....प्रत्यर्थी / अभियोगी

अपीलार्थी / आरोपी द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।
राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक

न्यायालय—श्री पंकज शर्मा, जे.एम.एफ.सी, गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-692 / 2006 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 02 / 05 / 2015 से उत्पन्न
दांडिक अपील ।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 01 अगस्त 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी / आरोपी की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द0प्र0सं0 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री पंकज शर्मा द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 692 / 2006 निर्णय दिनांक-02 / 05 / 2015 के निर्णय एवं दण्डाज्ञा से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी / अपीलार्थी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-16 (1)(ए)(I) के अपराध में 06 माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।
2. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि दिनांक-26 / 06 / 2004 को खाद्य निरीक्षक आर0एस0 सेंगर ने दिन के 04 बजे साक्षियों के समक्ष आरोपी गोपालदास की दुकान स्थित गोहद चौराहा का निरीक्षण करने पर उसकी दुकान में आठ बोरी सहारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के पाउच विक्रय हेतु संग्रहित पाया गया और पूछे जाने पर आरोपी ने उक्त पाउच बैबरेजेज प्रा.लि. बुलबुल पुरा

शीलनगर सागर ताल, ग्वालियर से क्रय करना बताया और क्रय की बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। उक्त ड्रिकिंग वाटर के पाउचों पर निर्माण तिथि एवं बैच नंबर अंकित नहीं था। इसलिये उसमें से 36 पाउच खाद्य निरीक्षक द्वारा क्रय कर नमूना जांच हेतु लिये गये। विक्रेता एवं निर्माण दोनों को फॉर्म नंबर-6 द्वारा नमूना जांच की सूचना दी गयी। उक्त 36 पाउचों की कीमत का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की गयी। उक्त 36 पाउचों को 12-12 पाउचों से विभाजित कर विधिवत डिब्बा बंद किया। विक्रय गोपालदास से विक्रय बाबत अनुज्ञप्ति चाहे जाने पर उसके द्वारा अनुज्ञप्ति दर्शित नहीं की गयी। कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया गया। उक्त ड्रिकिंग वाटर का एक नमूना फॉर्म नंबर-07 के साथ लोक विश्लेषक भोपाल को जांच हेतु दि०-28/06/2004 को भेजा गया। शेष दो नमूने स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी भिण्ड के कार्यालय में दि०-28/06/2004 को जमा कर पावती प्राप्त की गयी। राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल से जांच रिपोर्ट क्र०-एफ.टी.एल/एस.डी.बी./2004/351, दि०-24/07/2004 के अनुसार उक्त जस्तशुदा पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर मिथ्याछाप वाला था।

3. तत्पश्चात संपूर्ण आवश्यक कार्यवाही कर लिखित परिवादपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर से आरोपीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी/अपीलार्थी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-16 (1)(ए)(1)(1) के आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर उसने आरोप से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत आरोपी/अपीलार्थी को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-16 (1)(ए)(1)(1) के अपराध में दोषमुक्त किया गया एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-16 (1)(ए)(1) के अपराध में 06 माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।
5. अपीलार्थी/आरोपी की ओर से प्रस्तुत किए गये अपीलिय ज्ञापन में मूलतः यह आधार लिया है कि जब्ती पत्रक के साक्षीगण करतारसिंह अ.सा.-1 एवं माताप्रसाद प्रजापति अ.सा.-2 दोनों पक्षविरोधी है इसके बाबजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कथित दण्डाज्ञा निर्णय दि०-02/05/2015 पारित करने में त्रुटि की है, जो निरस्ती योग्य है और जब्ती ही साबित नहीं है। परिवादी आर.एस. सेंगर हैं और इस प्रकरण की संपूर्ण विवेचना अन्य अधिकृत अधिकारी को करना चाहिये थी, जिसका अभाव इस प्रकरण में है जिसे भी नजर अंदाज करते हुए आलोच्य निर्णय पारित करने में गंभीर भूल की गयी है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। क्योंकि महत्वपूर्ण व सुसंगत विरोधाभास पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया और विधि, कानून

के सुस्थापित सिद्धांतों को अनदेखा करते हुए निर्णय पारित किया है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय अपास्त की जावे और अपीलार्थी/आरोपी को दोषमुक्त किया जावे एवं उनका अर्थदण्ड वापिस दिलाया जावे ।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

1- “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उसे इस अपराध में दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”

2- क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा कठोर है?

—::— **निष्कर्ष के आधार** —::—

7. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित एवं मौखिक तर्कों में मूलतः यह बिन्दु उठाया है कि मौखिक साक्ष्य में अ0सा-1 और अ0सा-2 के द्वारा अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया गया है केवल खाद्य निरीक्षक आर0एस0 सेंगर (अ0सा0-3) का ही कथन हुआ है जिसके कथन को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय मानकर आरोपी/अपीलार्थी को दोषी पाया और शेष आरोपीगण को दोषमुक्त कर दिया जो कि आश्चर्यजनक है तथा दोषमुक्त किये गये तीनों आरोपी महेश शर्मा, अखिलेश शर्मा एवं हेमप्रकाश को स्थानीय क्षेत्राधिकार न होना बताते हुए दोषमुक्त किया है। जबकि अपराध निरंतरता का बताया गया है। जिसका विद्वान ए 0जी0पी0 द्वारा विरोध किया गया है।

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय के अध्ययन करने से यह तो स्पष्ट है कि चार अभियुक्तगण का विचारण किया गया था, जिसमें से आरोपी/अपीलार्थी गोपालदास को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिथ्या छाप का सहारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जिस पर निर्माण तिथि, बेच नंबर, एक्सपायरी दिनांक नहीं थी, विक्रय करने के आधार पर धारा-16(1)(ए)(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 दोषसिद्ध किया है।

9. यह सही है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत उपरोक्त प्रकार का अपराध निरंतरता में होता है और मिथ्या छाप या ऐसे सीलबंद खाद्य या पेय पदार्थ जिस पर निर्माण तिथि, बेच नंबर, उसकी एक्सपायरी दिनांक आदि अंकित नहीं हो, उसके लिए विनिर्मिता, वितरक, डीलर और फुटकर विक्रेता सभी अपराध के दोषी होते हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दोषमुक्त अभियुक्तगण के मामले में स्थानीय क्षेत्राधिकार न होने का निष्कर्ष अवश्य विधि सम्मत

नहीं है, किंतु उसके आधार पर विचाराधीन आरोपी/अपीलार्थी दोषमुक्ति का पात्र नहीं हो जाता है, बल्कि उसके हिस्से के कृत्य के बारे में स्वतंत्र रूप से साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। दोषमुक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई काउण्टर अपील नहीं की गयी है। इसलिए दोषमुक्त किये गये अभियुक्तों के संबंध में यह न्यायालय कोई निष्कर्ष नहीं दे सकता है और विशुद्ध रूप से यह देखना होगा कि—क्या आरोपी/अपीलार्थी गोपालदास के द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का उपरोक्त आशय का अपराध किया गया है या नहीं ?

10. जहां तक परीक्षित साक्षियों में से अ0सा0-1 और अ0सा0-2 के बारे में तर्क किया गया है, कि अ0सा0-1 करतार सिंह और अ0सा0-2 माताप्रसाद प्रजापति के अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आरोप पूर्व कथन कराये गए हैं, आरोप पश्चात नहीं हुए, इसलिए उनके अभिसाक्ष्य का गुण दोषों पर विचार करते समय विश्लेषण में लिये जाने की आवश्यकता नहीं है और उक्त अधीनस्थ न्यायालय के अपराध के विचारण में खाद्य निरीक्षक ही महत्वपूर्ण साक्षी होता है। जिसके अभिसाक्ष्य को औपचारिक रूप से अग्राह नहीं किया जा सकता, बल्कि यह देखना होगा कि उसके द्वारा की गयी कार्यवाही में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 का कोई अपालन किया गया हो जो उसकी कार्यवाही को संदिग्ध बनाता हो।
11. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृ० वीरेन्द्र कुमार सकलेचा वि० जगजीवन एवं अन्य ए.आई.आर 1974 सु.को. पेज-1957 पेश किया है, जिसमें महत्वपूर्ण साक्षियों को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत न किए जाने की दशा में अभियोजन के विपरीत उपधारणा इस आशय की निर्मित करने पर बल दिया है कि साक्षी अवश्य ही अभियोजन का समर्थन नहीं करते, इसलिये उन्हें पेश नहीं किया गया। उक्त न्याय दृ० लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम से संबंधित होकर चुनाव याचिका से संदर्भित है और इस प्रकरण में उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता है क्योंकि खाद्य निरीक्षक ही महत्वपूर्ण साक्षी होता है और वह पेश हुआ है और उसपर आरोपी/अपीलार्थी की ओर से विस्तृत प्रतिपरीक्षा भी की गयी जिसमें कोई अन्यथा तथ्य नहीं आये हैं। आरोपी/अपीलार्थी की ओर से अन्य प्रस्तुत न्याय दृ० भारत भूषण वि० वेदप्रकाश ए.आई.आर. 1978 देहली पेज-199 भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पर आधारित होकर चुनाव संबंधी है, जिसका भी इस प्रकरण में कोई लाभ अपीलार्थी/आरोपी को नहीं होता है।

12. पी०एफ०ए० एक्ट की धारा-2 (9) में मिथ्याछाप वाले पदार्थ को परिभाषित किया गया है जिसके मुताबिक कोई खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप वाला समझा जायेगा—

क— यदि वह किसी अन्य खाद्य पदार्थ की जिसके नाम से

वह विक्रय किया जाता है, नकल है या उसके स्थान पर प्रतिस्थापित है या उससे इस प्रकार मिलता जुलता है कि धोखा हो जाए और उस पर उसका असली रूप उपदर्शित करने के लिए स्पष्ट और सहजदृश्य रूप से लेबल नहीं लगाया गया है,

ख— यदि उसे मिथ्या रूप से किसी स्थान या देश की उपज कहा जाता है,

ग— यदि वह ऐसे नाम से विक्रीत किया जाता है जो किसी अन्य खाद्य पदार्थ का है,

घ— यदि वह इस प्रकार रंजित, वासित या विलोपित, चूर्णकृत या पालिशकृत है कि यह बात छिप जाती है कि वह खराब है अथवा यदि वह पदार्थ उससे अच्छा और अधिक मूल्य वाला प्रकट किया जाता है, जैसा कि वह वास्तव में है,

ङ— यदि लेबल पर या अन्यथा उसके बारे में मिथ्या दावे किए जाते हैं,

च— यदि ऐसे पैकेजों में विक्रय किये जाने पर जो विनिर्माता या उत्पादक के द्वारा के द्वारा उसके कहने पर मोहरबन्द या तैयार किए गए हैं और जिनमें उसका नाम और पता है, इस अधिनियम के अधीन मान्य भिन्नताएँ के अंदर पैकेज की अन्तर्वस्तुओं के उसके बाहर सहजदृश्य और सही रूप से कथित नहीं किया जाता है।

छ— यदि उसको अन्तर्विष्ट करने वाले पैकेज या उस पैकेज के लेबल में उसमें अन्तर्विष्ट संघटकों या तत्वों के बारे में कोई ऐसा कथन, डिजाइन अभिलक्षण है जो किसी सारवान विशिष्ट में मिथ्या या भुलावा देने वाली है या यदि पैकेज अपनी अन्तर्वस्तुओं के बारे में अन्यथा धोखा देने वाला है,

:: प्रारंभिक 1 केन्द्रीय खाद्य मानव समिति और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला ::

ज— यदि उसको अन्तर्विष्ट करने वाले पैकेज या उस पैकेज के लेबल में उस पदार्थ के विनिर्माता या उत्पादक के रूप में किसी कल्पित व्यक्ति या कम्पनी का नाम है,

झ— यदि उसका विशेष आहार के रूप में उपयोग होना तात्पर्यित है या व्यपदिष्ट है तो सिवाय उस दशा के जिसमें उसके विटामिन, खनिज या अन्य आहार तत्वों के बारे में ऐसी जानकारी, जैसी विहित की जाए ऐसे उपयोगों के लिए उसके गुण दोषों के बारे में उसके क्रेता को पर्याप्त रूप से सूचित करने के लिए उसके लेबल में दी गयी है,

ञ— यदि उसमें कोई कृत्रिम वासक, कृत्रिम रंजक या रासायनिक परिरक्षी उस तथ्य का कथन करने वाले घोषणात्मक लेबल के बिना या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के उल्लंघन में अन्तर्विष्ट है,

ट— यदि उस पर इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार लेबल नहीं लगाया गया है।

13. खाद्य निरीक्षक आर0एस0 सेंगर अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य

में दिनांक 26/06/2004 को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग भिण्ड में खाद्य निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए, उक्त दिनांक को करीब दिन के 4 बजे आरोपी/अपीलार्थी गोपालदास द्वारा संचालित पान के ठेले (दुकान) का निरीक्षण गवाहों के समक्ष किया था, तब आरोपी/अपीलार्थी सहारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का विक्रय कर रहा था। उसने अपना परिचय देते हुए विक्रय किये जा रहे उक्त सहारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का निरीक्षण किया था जिनकी पाउच के ऊपर निर्माण तिथि, बेच नंबर नहीं था, तब उसने उक्त पानी के पाउचों के नमूना जांच हेतु लेने हेतु आरोपी/अपीलार्थी गोपालदास को सूचना दी थी। जिसमें उक्त पानी के पाउच का निर्माण गालव वेवरेज प्रायवेट लिमिटेड ग्वालियर होना और उन्हीं से विक्रय करना बताया था, जिसके बिल की मूल प्रति की छायाप्रति प्र0पी0-5 बतायी गयी है। साक्षी ने अपनी योग्यता के संबंध में संचालक स्वस्थ सेवाएं मध्यप्रदेश के आदेश की नकल प्र0पी0-6 तथा जिला दुर्ग के सिविल सर्जन ने प्रथम नियुक्ति आदेश की नकल प्र0पी0-7 तथा स्वच्छता निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के आदेश की प्र0पी0-8 की नकल पेश करते हुए पी0एफ0ए0 एक्ट 1954 के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त होने की अधिसूचना की नकल प्र0पी0-9 एवं 10 पेश की है। सेनेट्री इंस्पेक्टर या स्वच्छता निरीक्षक के प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र प्र0पी0-11 तथा खाद्य निरीक्षक के प्रशिक्षण का प्रमाणपत्र प्र0पी0-12 पेश करते हुए उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भिण्ड का आदेश प्र0पी0-13-सी के रूप में उसकी नकल पेश की है, जिसके तहत उसे उक्त पी0एफ0ए0 एक्ट के अंतर्गत खाद्य निरीक्षक की शक्तियां संपूर्ण राजस्व जिला भिण्ड के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त दस्तावेजों के संबंध में आरोपी/अपीलार्थी की ओर से कोई खण्डन नहीं है न ही कोई लिखित या मौखिक तर्क में कोई बिन्दु उठाया गया है। इसलिए अ0सा0-3 द्वारा बतायी गयी घटना दिनांक 26/04/2004 को पी0एफ0ए0 एक्ट 1954 एवं नियम 1955 के अंतर्गत संपूर्ण जिले के लिए खाद्य निरीक्षक की शक्ति प्राप्त कर कर अधिकारी होना प्रमाणित होता है।

14. अ0सा0-3 के द्वारा आरोपी/अपीलार्थी से कुल 36 पैकेट, जिसके प्रत्येक पाउच में 250 एम0एल0 पानी था। कुल पाउचों का नमूना 9000 एम0एल0 था, जो उसने आरोपी/अपीलार्थी से 36 रूपये भुगतान कर कर लिया था। जिसके भुगतान की रसीद प्र0पी0-2 बताते हुए उस पर अपने व साक्षी के हस्ताक्षर करना बताये है, तथा आरोपी/अपीलार्थी विक्रेता को फार्म नंबर-6 देकर उसकी पावती लेना बताया है जो प्र0पी0-1 है तथा यह भी बताया है कि जांच हेतु लिये गये सहारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के पाउचों के नमूनों को उसने तीन समान भागों में 12-12 पाउच के हिसाब से बांटकर तीन साफ पुठे के डिब्बे में अलग-अलग रखकर डिब्बों को बंद किया था और उनके ऊपर लेबल फार्म लगाये थे। जिनके सी से सी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर बताये है। ए और बी से बी भाग पर साक्षियों के हस्ताक्षर बताये है। फिर डिब्बों को ब्राउन पेपर में लपेटकर उनके

सिरों को चिपकाकर बंद करना बताते हुए स्थानीय स्वस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त की गई पेपर स्लिप जिस पर नमूना क्र०, कोड नंबर, स्लिप नंबर अंकित था, उसे ऊपर से नीचे तक तीनों डिब्बों पर अलग-अलग चिपकाना बताया है। जिन पर उसने अपने हस्ताक्षर किये और आरोपी/अपीलार्थी विक्रेता के भी हस्ताक्षर लिये थे, जो इस प्रकार से लिये थे कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लिप पर और आधे हस्ताक्षर लपेटे गए कागज पर आये। फिर तीनों पैकेटों को अलग-अलग धागे से काँस कर बांधा और प्रत्येक पैकेट पर 4-4 सील चपड़ी द्वारा ऊपर नीचे व पैकेट की दोनों बगलों में लगाकर शील्ड किया था। मौके की कार्यवाही कर पंचनामा भी उसने तैयार करना बताया है, जो प्र०पी०-4 है जिसके सी से सी भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर बताये हैं। आरोपी, गवाहों के भी हस्ताक्षर कराना उन्हें पढ़कर सुनाना भी उसने कहा है। आरोपी/अपीलार्थी विक्रेता से सहारा पैकैज्ड ड्रिंकिंग वाटर विक्रय करने का लाइसेंस मांगना भी कहा है जिस पर आरोपी/अपीलार्थी द्वारा लाइसेंस घर पर रखा होना और बाद में पेश करना बताया था, किंतु बाद में भी लाइसेंस का कोई प्रदर्शन नहीं किया गया।

15. अ०सा-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि उसने मौके पर की गयी कार्यवाही के तीन नमूनों के पैकेटों में से नमूने के एक पैकेट को उसके आउटर कवर में बंद कर फार्म-7 के साथ जांच हेतु भृत्य रामसहाय के द्वारा दिनांक 28/06/2004 को लोक विश्लेषक भोपाल की ओर भेजा था, जो प्र०पी०-14 है तथा नमूना लोक विश्लेषक भोपाल में जमा होने की पावती रसीद प्र०पी०-15 बतायी है। यह भी कहा है कि उसने नमूने के पैकेट के साथ ही फार्म नंबर-7 की एक अतिरिक्त प्रति तथा मौके पर लिये गये नमूने की ब्रास सील की नमूने की छाप भी प्रथक से उक्त भृत्य के माध्यम से लोक विश्लेषक को भेजी थी। जो प्र०पी०-16 है, जिसकी पावती की रसीद जो लोक विश्लेषक द्वारा दी गयी थी, प्र०पी०-17 है। प्र०पी०-14 एवं 16 पर भी उसने अपने हस्ताक्षर बताये हैं तथा शेष दो नमूने के पैकेट फार्म नंबर-7 की दो प्रतियों के साथ और सील बंद करने में उपयोग में ली गयी छापमुद्रा सहित उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन भिण्ड के कार्यालय में भी दिनांक 28/06/2004 को ही जमा कराना बताया है। जिसकी पावती प्र०पी०-17 पर होना बतायी गयी है।

16. अ०सा०-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि लोक विशेषज्ञ भोपाल द्वारा भेजी गयी नमूने की जांच पर उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड को भेजी गयी थी। उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड ने लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट प्रपत्र के साथ उसे प्रदान की थी। जिसका सहपत्र प्र०पी०-18 है, जिसके ए से ए भाग पर उसने प्राप्ति के हस्ताक्षर बताये हैं तथा लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट प्र०पी०-19 बतायी है। जिसके अवलोकन से उसे यह विदित हुआ था कि भेजा

गया सहारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का नमूना मिथ्या छाप वाला था। लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसने इसकी सूचना आरोपी/अपीलार्थी को रिपोर्ट की प्रति के साथ दी थी। जिसका पत्र प्र0पी0-20 बताया है, जिसके ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर बताये हैं। उसका यह भी कहना है कि आरोपी/अपीलार्थी द्वारा पत्र के पालन में जबाव पेश किया था, जिसके साथ क्रय करने की रशीद की छायाप्रति पेपर का विज्ञापन नगर पालिका गोहद से प्राप्त लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न की थी, जो उसे प्राप्त हुई थी, जो आरोपी/अपीलार्थी का मूल जबाव प्र0पी0-21 है। उसका यह भी कहना है कि उसके द्वारा लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसने मैनेजर गालव वेवरीज प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बुलबलपुरा शीलनगर सागरताल रोड ग्वालियर को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजी थी, जो भेजा गया सूचनापत्र प्र0पी0-22 है। उसकी रजिस्ट्री की रशीद प्र0पी0-23 बतायी है, जिसका दिया गया जबाव प्र0पी0-24 है, जो उसे दिनांक 21/09/2004 को प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त गालव वेवरीज प्राइवेट लिमिटेड के निर्माता को भी उसने लोक विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर फर्म से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करने हेतु प्र0पी0-25 का एक पत्र रजिस्टर्ड डाक से भेजा था जिसकी रजिस्ट्री की रशीद प्र0पी0-26 है जिस पर से दी गयी जानकारी का पत्र प्र0पी0-27 है, जो उसे दिनांक 30/09/2004 को प्राप्त हुआ था। उसने दिनांक 16/10/2004 को मैनेजर एवं मालिक गालव वेवरीज प्राइवेट लिमिटेड को पूर्व में भेजे गये प्र0पी0-22 के अनुक्रम में वांछित जानकारी देने हेतु प्र0पी0-28 का पत्र दिया था। जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड द्वारा उससे जानकारी चाहते हुए प्र0पी0-29 का पत्र दिया था। तत्पश्चात उसने उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर आरोपी/अपीलार्थी के विरुद्ध लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट नमूना क्रमांक 19/04 के आधार पर अभियोजन चलाने की स्वीकृति चाही थी, वह पत्र प्र0पी0-30 है और उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला भिण्ड द्वारा अभियोजन चलाने की दी गयी अनुमति प्र0पी0-31 बतायी है।

17. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित व मौखिक तर्कों में मुख्यतः यह बिन्दु भी उठाया है कि साक्ष्य के दौरान अभियोजन की ओर से जो वस्तु आरोपी/अपीलार्थी से जब्त करना बतायी गयी है उसे आर्टिकल के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ना ही उसके कोई फोटो की कॉपी लगायी, जबकि उसे पेश करना चाहिये था, क्योंकि पानी पर कोई छाप लगाना अथवा छापी जाना संभव नहीं है। इसलिये बगैर प्रस्तुति के यह अभिनिर्धारित किया जाना संभव नहीं था कि पानी मिथ्या छाप वाला था और जिस पाउच, कवर, डिब्बा या कंटेनर में पानी भरा गया था वह सिद्ध नहीं किया है। लिखित तर्कों में "प्रत्यक्ष किम प्रमाण" के अभाव में अपराध को प्रमाणित मानकर विद्वान अधीनस्थ द्वारा विधिक भूल करना बतायी है

जिसका विद्वान ए.जी.पी. द्वारा विरोध किया गया है।

18. उठाये गये इस बिन्दु के संबंध में विधिक स्थिति को देखा जाये तो पी.एफ.ए. एक्ट 1954 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए खाद्य निरीक्षक सक्षम अधिकारी होता है और अभिलेख पर जो नमूने राजा सिंह सेंगर अ.सा.-3 ने अपीलार्थी/आरोपी से लेना बताये हैं। उनमें से एक नमूना लोक विश्लेषक भोपाल को जांच हेतु भेजा गया था, शेष दो नमूने उपसंचाक खाद्य एवं औषधि प्रशासन भिण्ड को जमा कराये गये। लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट प्र.पी.-19 पेश की गयी है, जो रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य योग्य होती है। उसके लिए किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी/आरोपी केवल धारा-13 (2) पी.एफ.ए. एक्ट के अंतर्गत द्वितीय सैंपल की जांच केन्द्रीय प्रयोगशाला से कराने की मांग सूचना मिलने के बाद 10 दिन के भीतर कर सकता है। जोकि विचाराधीन मामले में अपीलार्थी/आरोपी की ओर से नहीं की गयी है।
19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृ० मंगलदास वि० स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1966 एम.पी.एल.जे. (एस.सी.) पेज-513 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य योग्य होती है और उसके लिए लोक विश्लेषक के कथन की आवश्यकता नहीं है। विचाराधीन मामले में लोक विश्लेषक भोपाल की प्र.पी.-19 की जांच रिपोर्ट जोकि विहित फॉर्म III नियम 7 (3) खाद्य अपमिश्रण नियम 1955 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य योग्य होती है। प्र.पी.-19 के अध्ययन करने पर यह स्पष्ट है कि सहारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर का जो नमूना लोक विश्लेषक को भेजा गया, उसके बारे में लोक विश्लेषक का यह स्पष्ट अभिमत आया है कि नमूना मिथ्या छाप वाला है। जिससे धारा-02 (ix) (k) नियम 32 (E) और (F) का उल्लंघन बताया गया है।
20. आरोपी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृ० बलजीत सिंह वि० स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई.आर. 1976 सु.को. पेज-2273 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में प्रतिकूल उपधारणा निर्मित किए जाने का मार्गदर्शन दिया है, न्याय दृ० का मामला हत्या के अपराध से संबंधित था और खसरा खतौनी की नकलें पेश नहीं की गयी थीं, कि घटनास्थल पर कौन वास्तव में काबिज काशत रहा था क्योंकि उसी को लेकर घटना घटित हुई थी। सर्वप्रथम तो ऐसी परिस्थिति प्रकरण में नहीं है। दूसरा प्रकरण में नमूने के रूप में लिया गया उक्त पाउच को आर्टिकल के रूप में प्रकरण में पेश किए जाने की आवश्यकता ना होना ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है और लोक विश्लेषक की रिपोर्ट इस संबंध में साक्ष्य में पूर्णतः ग्राह्य योग्य मानी जा चुकी है इसलिये न्याय दृ० का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

21. अ.सा.-3 के द्वारा जिस मात्रा में नमूना लिया गया है, वह मात्रा लोक विश्लेषक के विश्लेषण हेतु पर्याप्त होना भी पाया जाता है क्योंकि लोक विश्लेषक की कोई अन्यथा रिपोर्ट नमूने की मात्रा को लेकर नहीं है। तथा भेजा गया नमूना उचित रूप से सीलबंद अवस्था में प्राप्त होने का भी उल्लेख है। इसलिये नमूना लिये जाने में अ.सा.-3 द्वारा किसी नियम का उपयोग किया जाना भी परिलक्षित नहीं होता है। इसलिये अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि पानी के नमूने के लिए, लिये गये पाउच को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया, इसलिये मामला दूषित माना जाये, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि पाउच को साक्ष्य में पेश किए जाने की उक्त स्थिति में आवश्यकता नहीं है क्योंकि लोक विश्लेषक की जांच रिपोर्ट विधिक रूप से प्रमाणित की गयी है।

22. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दूसरा बिन्दु यह उठाया गया है कि खाद्य निरीक्षक ने इस बात को प्रमाणित नहीं किया कि जो नमूना उसने आरोपी से प्राप्त किया, उसे ग्राहक के रूप में प्राप्त किया गया और वास्तव में सेवन करने के उद्देश्य से लिया गया। क्योंकि जबतक दूषित जल का सेवन ना हो, तब तक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड सकता है जिसका भी विद्वान एजीपी द्वारा तर्कों में विरोध किया गया।

23. इस बिन्दु पर अभिलेख पर आयी सामग्री को देखा जाये तो ऊपर यह स्पष्ट किया जा चुका है कि राजासिंह सेंगर अ.सा.-3 द टना दि0-26/06/2004 को संपूर्ण राजस्व जिला भिण्ड में राजस्व निरीक्षक की शक्तियां प्राप्त किए हुए था और उसे विक्रय के लिए रखे गये किसी भी पदार्थ चाहे वह खाद्य पदार्थ हो या पेय पदार्थ हो, उसे नमूने के रूप में जांच हेतु प्राप्त करने को अधिकृत था। अ.सा.-3 ने अभिलेख पर जो साक्ष्य दी है और जो दस्तावेज पेश किए हैं उसमें यह स्पष्ट रूप से आया है कि उसने अपीलार्थी/आरोपी को अपना परिचय देकर पान की दुकान पर विक्रय के लिए रखे सहारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के पाउच को नमूने के लिए खरीदा, जिसकी उसने राशि भी चुकायी जिसका प्रमाण प्रदर्श पी.-2 से मिलता है क्योंकि उसका कोई खण्डन नहीं हुआ है जिसके मुताबिक 9000 मिलीलीटर कुल उक्त पाउच 36 रुपये नगद भुगतान कर खरीदे गये। तथा वे जांच के लिए खरीदे जाना प्र.पी.-1 के दस्तावेज से स्पष्ट होता है जोकि बिहित फॉर्म VI नियम 12 के तहत तैयार किया गया है। खाद्य निरीक्षक को यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई भी संदिग्ध पदार्थ का स्वयं सेवन करे तभी अपराध बन सकता है इसलिये विद्वान अपीलार्थी अधिवक्ता का उक्त प्रकार का तर्क विधि संगत नहीं है, ना ही लिखित तर्क की कंडिका-7 में इस संबंध में ली गयी आपत्ति को स्वीकार किया जा सकता है। बल्कि प्र.पी.-1 लगायत पी.-4 की कार्यवाही से अ.सा.-3 द्वारा मौके पर नमूना लिये जाने में विहित प्रक्रिया का पालन किया जाना प्रमाणित होता है।

24. जहां मामला मिथ्या छाप से संबंधित हो वहां फुटकर विक्रेता जैसी की स्थिति विचाराधीन अपील में अपीलार्थी/आरोपी की बतायी गयी है, इसके लिए पी.एफ.ए. एक्ट की धारा-14 में परिभाषित वारण्टी को स्थापित करना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा-14 में यह प्रावधान है कि—किसी खाद्य पदार्थ का कोई भी [निर्माता या वितरक या व्यवहारी] ऐसा पदार्थ किसी विक्रेता को तब तक विक्रय नहीं करेगा जबकि कि वह भी ऐसे पदार्थ की प्रकृति और क्वालिटी के बारे में विहित प्ररूप में लिखित वारण्टी विक्रेता को नहीं दे देता, [परन्तु किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय के संबंध में कोई बिल, कैशमेमो या बीजक, जो ऐसे पदार्थ के विनिर्माता या वितरक या व्यवहारी ने उसके विक्रेता को दिया हो, इस धारा के अधीन ऐसे विनिर्माता वितरक या व्यवहारी द्वारा दी गयी वारण्ट समझा जायेगा]

स्पष्टीकरण— इस धारा में धारा-19 की उपधारा (2) में और धारा-20 क में “वितरक” शब्द के अंतर्गत कमीशन अभिकर्ता भी होगा।

25. उक्त प्रावधान मुताबिक जो वारण्टी बतलायी गयी ऐसे वारण्टी विचाराधीन मामले में अपीलार्थी/आरोपी को प्राप्त होना स्थापित नहीं है। प्र.पी.-5 के रूप में जो छायाप्रति अ.सा.-3 ने प्राप्त होना बताया है। उसमें उसे अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। क्योंकि उसे करतार सिंह गुर्जर अ.सा.-1 के अभिसाक्ष्य से प्रदर्शित किय गया है जिसका केवल आरोप पूर्व साक्ष्य है, आरोप पश्चात साक्ष्य ना होने से उसे विचार में नहीं लिया जा सकता है, जैसाकि ऊपर भी स्पष्ट किया जा चुका है और अपीलार्थी/आरोपी की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्राप्त करने के बावजूद कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। ऐसे में प्र.पी.-21 जोकि अ.सा.-3 द्वारा दिये गये पत्र क्र0-88/2004 दि0-16/08/2004 के संदर्भ में अपीलार्थी/आरोपी द्वारा दिया गया था। जिसमें कय की रसीद भास्कर समाचारपत्र के विज्ञापन और नगरपालिका से प्राप्त लाइसेंस की फोटोकॉपी संलग्न किए जाने का उल्लेख अवश्य किया गया है, किन्तु उनको पेश नहीं किया गया है। इसलिये प्रदर्श पी.-5 के रूप में अभिलेख पर संलग्न फोटोकॉपी के आधार पर अपीलार्थी/आरोपी को कोई बचाव प्राप्त नहीं है और आरोपी की ओर से इस आशय का भी कोई विरोध नहीं किया है कि वह दुकानदारी नहीं करता है बल्कि धारा-313 द.प्र.सं. के तहत हुए परीक्षण में उसने अपना व्यवसाय दुकानदारी ही बताया है।

26. अपीलार्थी/आरोपी द्वारा रंजिशन झूठा फंसाये जाने का आधार अवश्य लिया है किन्तु अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति या साक्ष्य नहीं है जिससे खाद्य निरीक्षक अ.सा.-3 की अपीलार्थी/आरोपी से किसी भी प्रकार की पूर्व की कोई बुराई या रंजिश रही हो, बल्कि अ.सा.-3 ने पदीय हैसियत से कार्य किया है। इसलिये रंजिश के बिन्दु

का भी लाभ अपीलार्थी/आरोपी को नहीं होता है ना ही उससे अभियोजन के मामले पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है बल्कि अभिलेख पर जो समग्र साक्ष्य है उससे इस प्रकार की सुदृण व विश्वसनीय अभियोजन साक्ष्य आई है, कि दि०-26/06/2004 को अपीलार्थी/आरोपी गोपालदास गोहद चौराहा स्थित अपनी दुकान पर सहारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर के पाउच बिना वैध अनुज्ञप्ति के विक्रय कर रहा था जिन पाउचों पर निर्माण तिथि बैच नंबर और एक्सपाइरी दिनांक अंकित नहीं थी जिससे वह मिथ्या छाप वाला पेय पदार्थ की श्रेणी का होकर पी.एफ.ए. एक्ट 1954 की धारा-02 (ix) (k) नियम 32 (E) और (F) का उल्लंघन है। जोकि उक्त अधिनियम की धारा-16 (1) (ए) (1) के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपराध में आरोपी/अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने में कोई विधि या तथ्य की भूल नहीं की है। इसलिये दोषसिद्धी के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील स्वीकार योग्य ना होने से वादविचार **खारिज** की जाती है।

27. दण्डाज्ञा के बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों पर विचार किया गया। उक्त प्रकरण मिथ्या छाप वाले पीने के पानी के पाउचों से संबंधित है। पानी मानवजीवन की मूलभूत आवश्यकता है क्योंकि ऐसी प्राकृतिक मान्यता है कि जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। शुद्ध जल वर्तमान युग की एक बड़ी समस्या के रूप में है और शुद्ध जल के अभाव में अनेक तरह की बीमारियां भी होती हैं, ऐसे में मिथ्या छाप वाला पीने का पाउच खुले रूप से विक्रय करने को हल्के रूप में नहीं लिया जा सकता है तथा घटना जिस स्थान अर्थात् गोहद चौराहा भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग है, वहां से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन और उसमें बैठे हजारों यात्री प्रतिदिन आवागमन करते हैं और जलपान हेतु रुकते भी हैं, जैसा कि ए.जी.पी.के. तर्क में भी बताया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 06 माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदण्ड की जो दण्डाज्ञा आरोपी/अपीलार्थी को प्रदान की है, वह अविवेकपूर्ण या अत्यधिक कठोर श्रेणी की नहीं मानी जा सकती है और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम का मामला वैसे भी गंभीर श्रेणी का होता है और उसमें उदारता नहीं बरती जा सकती है क्योंकि बड़ी मात्रा में आरोपी की दुकान पर आठ बोरियों में पाउच रखे पाये गये थे तथा उक्त अधिनियम की धारा-20 के क के मुताबिक अपराधी परीवीक्षा अधिनियम 1958 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-360 का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

28. अतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर प्रस्तुत दाण्डिक अपील बाद विचार **अस्वीकार** कर दण्डाज्ञा को स्थित रखा जाता है। आरोपी/अपीलार्थी को न्यायिक निरोध में लेकर सजा भुगताये जाने बाबत उपजेल गोहद भेजा जावे।

29. आरोपी/अपीलार्थी के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

30. प्रकरण में शेष दो जप्त नमूनों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की निर्णय कंडिका-28 को देखते हुए कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है क्योंकि एक आरोपी फरार बताया गया है।

दिनांक: 01 अगस्त 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)